

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक/पटना, दिनांक
06/पणन(स0)-52/2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
बिहार, पटना।

विषय :- बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत 13 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) में आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु प्रति PVCS रु0 1,14,30,561/- (एक करोड़ चौदह लाख तीस हजार पाँच सौ एकसठ) की दर से कुल राशि रु0 14,85,97,293/- (चौदह करोड़ पचासी लाख सनतानबे हजार दो सौ तिरानबे) मात्र का वित्तीय वर्ष 2025-26 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत 13 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) में आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु प्रति PVCS रु0 1,14,30,561/- (एक करोड़ चौदह लाख तीस हजार पाँच सौ एकसठ) की दर से कुल राशि रु0 14,85,97,293/- (चौदह करोड़ पचासी लाख सनतानबे हजार दो सौ तिरानबे) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय संकल्प ज्ञापक 10615 दिनांक 05.12.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त योजना का 25 प्रतिशत हिस्सा पूंजी की राशि रु0 3,71,49,323/- (तीन करोड़ एकहतर लाख उनचास हजार तीन सौ तेईस) मांग संख्या-09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-108 अन्य सहकारी समितियों में निवेश, उप शीर्ष-0166 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-54 निवेश, विषय शीर्ष-01 निवेश, विपत्र कोड-09-4425001080166, 50 प्रतिशत अनुदान मद की राशि रु0 7,42,98,647/- (सात करोड़ ब्यालीस लाख अन्तानबे हजार छ सौ सैतालीस) मांग संख्या-09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष-0116 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-31 सहायक अनुदान, विषय शीर्ष-05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-09-2425001080116 तथा 25 प्रतिशत ऋण मद की राशि रु0 3,71,49,323/- (तीन करोड़ एकहतर लाख उनचास हजार तीन सौ तेईस) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऋण मद का शीर्ष खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रथम अनुपूरक से ऋण मद से राशि प्राप्त होने के पश्चात् ऋण मद की राशि विकलनीय होगी।

3. PVCS को सरकारी ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी राशि की वसूली के संबंध में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फंडरेशन लि0, पटना द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया के तहत ऋण वसूली की पूर्ण जिम्मेदारी बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फंडरेशन लि0, पटना का होगा।

4. योजना अंतर्गत आधारभूत संरचना निर्माण कार्य पूर्ण करने की अधिकतम समय सीमा छ माह की होगी। इसका नियमित निरीक्षण जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित सब्जी संघ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी PVCS में निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति से आवश्यक फोटो प्रमाणक के साथ प्रबंध निदेशक, वेजफेड को नियमित रूप से अवगत करायेगा।

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियों, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो उपलब्ध आवंटन के अंतर्गत राशि की निकासी कर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फंडरेशन लि0, पटना के खाते में स्थानांतरित करेंगे। इससे लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

कू0पू0उ0

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक-26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

7. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि0(2) दिनांक 16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ ही उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 (अदारह) माह के अंदर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को तथा निबंधक, सहयोग समितियों के माध्यम से सहकारिता विभाग को प्राप्त करायेंगे।

9. योजना कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVC'S) का व्ययन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना एवं बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना द्वारा किया जायेगा।

10. योजना प्रस्ताव पर संचिका संख्या- 06/पणन(स0)-52/2025 के माध्यम से विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक 30.04.2025 (कार्यवाही ज्ञापांक 2101 दिनांक 02.05.2025) द्वारा अनुमति प्राप्त है साथ ही संचिका के पृष्ठ संख्या 13/टि0 पर दिनांक 09.05.2025 को माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

11. स्वीकृतिपत्र प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 06/पणन(स0)-52/2025 के पृष्ठ संख्या 12/टि0 पर दिनांक 07.05.2025 को प्राप्त है।

12. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या 06/पणन(स0)-52/2025 के पृष्ठ संख्या 13/टि0 पर दिनांक-08.05.2025 को प्राप्त है।

हस्ता/-

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक..... 82

06/पणन(स0)-52/2025

/पटना, दिनांक 14/05/2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा, बिहार, पटना)/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसारण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक सहयोग समितियों, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा 03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स0स0, बिहार, पटना/आई0सी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

14-05-2025

सरकार के अपर सचिव।